Vol 3 Issue 9 Oct 2013

ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor

Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief

H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume-3, Issue-9, Oct-2013
ISSN 2230-7850

Available online at www.isrj.net

मनरेगा कार्यक्रम और मीडिया : एक अध्ययन (सीताम?ी जिले के विशेष संदर्भ में)

अमृत कुमार
पी–एच.डी. शोधार्थी, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र, म.गा.अ. हि.वि. वर्धा,महाराष्ट्र

सारांश : मनरेगा योजना को केवल रोजगार प्रदान करने की योजना समझना उचित नहीं है। इस योजना के कई अन्य पहलू भी हैं। वर्तमान समय में किसी भी कार्यक्रम की सफलता की प्रथम इकाई सूचना माध्यमों पर निर्भर करती है। मीडिया ने लगातार सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। आज मनरेगा के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक जैसी भी धारणा जनमानस में है, मीडिया की रिपोर्टिंग का उसमे अहम योगदान है।

शब्द कुंजी– मनरेगा, अवधारणा, प्रस्तुति, रिपोर्टिंग, विकाससर्जना, लोक सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

प्रस्तावना :

मीडिया के लिए विकाससर्जना व लोक सेवा की अवधारणा नई नहीं है । मीडिया के चरित्र में ही विकास सर्जना व लोक सेवा की भावना निहित है । वर्तमान समय में रोजगार श्रृजन में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया की सकारात्मक भूमिका मीडिया की विकास सर्जना में योगदान का उत्कृष्ट नमूना है । लोकतंत्र में रोजगार संबंधी नीतियों को बनाना सरकार का दायित्व है, लेकिन इन नीतियों की जानकरी संबंधित जनता तक पहुँचाने का नैतिक दायित्व मीडिया पर होता है । अपने इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मीडिया, केवल योजना की जानकारी ही जनता तक पहुँचाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखती है, अपितु मीडिया योजना के सफल या असफल कार्यप्रणाली से भी जनता व सरकार को अवगत कराती है, साथ ही साथ सुझाव भी प्रस्तुत करती है ।

आजादी के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, भारत सरकार के समक्ष प्रमुख कार्यों में से एक रहा है । भारत सरकार द्वारा स्थापित ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भूखमरी हटाना है । अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी दूर करने संबंधी नीतियों को बनाना शुरु किया । योजना बनाने के क्रम में सरकार द्वारा 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 2004 में काम के बदले अनाज योजना, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आदि योजना चलायी गयी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार श्रृजन के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं में अबतक की सबसे महत्वपूर्ण योजना नरेगा है जिसे वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के नाम से जाना जाता है । " यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया । इस अधिनियम के तहत वैसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, को सरकार द्वारा 100 दिन की गारंटीशुदा अकुशल मजदूरीध्रोजगार वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाता है । योजना का लाभ लेने के लिए योग्य व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है ।" मनरेगा योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की गारंटी देने वाला पहला कानून है । मीडिया के विभिन्न माध्यमों ने खासकर समाचारपत्रों ने वर्तमान समय में लगभग–लगभग देश के हर इलाके में अपनी पहुँचा बना ली है । जहाँ सरकारी सेवक भी प्रतिदिन नहीं जा पाते वहाँ भी समाचारपत्र अब प्रतिदिन पहुँचाने लगे हैं ।

मनरेगा की अवधारणा

"हर हाथ को काम दो! काम का पूरा दाम दो! अर्थात मजदूरी करने को सहमत किसी भी योग्य व्यक्ति को रोजगार पाने की वैधानिक गारंटी ही मनरेगा अधिनियम की मूल अवधारणा है। मनरेगा अधिनियम काम पाने के अधिकार को वैधानिक बनाने की प्रक्रिया में एक ठोस कदम हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में सम्मानजनक जीवन जीने का हक देता है। मनरेगा योजना को अधिनियम का दर्जा प्राप्त होते ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह योजना मजदूरों को स्थायी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है ।"

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लोकसभा में 23 अगस्त 2005 को ध्वनिमत से पारित हुआ तथा 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित हुआ था । 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में इसे लागू किया गया। वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण देश में कर दिया गया है। मनरेगा योजना अधिनियम एकाएक बना अधिनियम नहीं है । श्रमिक संगठन कई वर्षों से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की मांग कर रहे थे । साथ ही, काम के अधिकार संबंधी अन्य कानूनी सुरक्षा की मांग भी रही है । उदारीकरण के बाद जिस प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आय में असमानता ब? रही थी व ग्रामीण अकुशल मजदूरों का ब?ता शोषण तथा पलायन की ब?ती समस्या आदि पर जब भी ध्यान जाता तब सभी को एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस होती जो कि मजदूरों को रोजगार की गारंटी उनके ही इलाके में उपलब्ध करवाये ।

जिस समय यह अधिनियम लागू करने की बात चल रही थी, उस समय निजी क्षेत्र, व्यावसायिक मीडिया और वित्त मंत्रालय समेत कई अन्य महकमों ने इसका मुखर विरोध किया। उनका मानना था कि अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में कतई पूर्ण नहीं हैं ।

मनरेगा अधिनियम की तरह ही महाराष्ट्र राज्य ने सन् 1976 में 'रोजगार गारंटी अधिनियम' पारित किया था । यह आज भी लागू है । लेकिन इसका क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है । भारत के प्रत्येक राज्य अपनी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु उन्हें कुछ 'मौलिक विषयों का ध्यान रखना होगा, जिनका उल्लेख राष्टीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 1 में किया गया है। अर्थात मनरेगा अधिनियम राज्य सरकारों को रोजगार गारंटी योजना बनाने में दिशा निर्देशन भी करती है।

स्थायी ग्रामीण विकास से जु?ी योजना का निर्माण भी मनरेगा की अवधारणा में शामिल है । काफी वर्षों से एक ऐसी योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो ग्रामीण स्थायी विकास और सीधे–सीधे गरीबों की जिंदगी से जु?ा हुआ हो । मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो योजनाएँ बनाई जाती हैं, वे स्थायी ग्राम विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही स्थानीय व्यस्क बेरोजगारों के सतत् रोजगार प्राप्ति को भी निश्चित करता है।

पूर्व की सरकारी योजनाओं पर यह आरोप लगाया जाता था कि जब तक इसका लाभ ग्रामीण गरीब जनता तक पहूँचती हैं तब तक वह लाभ अपना महत्व खो चुकी होती है । अर्थात मजदूरी मिलने में इतनी देरी हो जाती है की उन्हें अपने जीवकोपार्जन के लिए स्थानीय स्तर पर कर्ज लेना प?ता है । अतः इस अधिनियम को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि मजदूर को उसकी मजदूरी जल्द से जल्द प्राप्त हो अतः "मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंतर्गत मजूदरी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करवाया गया है ।"

बराबर यह शिकायतें सामने आ रहीं, थी कि मजदूरों तक पूरा पैसा नहीं पहूँच पाता हैं। अतः योजना बनाते समय यह प्रावधान किया गया की पैसा सीधे मजदूर तक पहूँचे । इसके इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में मजदूर का खाता खुलवाकर उनका पैसा सीधे उन तक पहूँचाने की व्यवस्था की गई है ।

मजदूरों को जागरूक बनाने की अवधारणा भी इस योजना से जुडी हुई है अतः इस योजना में ग्राम सभा को बैंठक के माध्यम से मजदूरों को उनके

अमृत कुमार, "मनरेगा कार्यक्रम और मीडिया : एक अध्ययन(सीताम?ी जिले के विशेष संदर्भ में)"
Indian Streams Research Journal Vol-3, Issue-9 (Oct 2013): Online & Print

अधिकारों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया ।

इस योजना के माध्यम से सरकार मजदूरों को सभी आवश्यक सरकारी सुविधा व कानूनी सुविधा से लाभांन्वित करवाना चाहती है अतः सरकार ने इस योजना में बेरोजगारी भत्ता, मुआवजा, चिकित्सा सुविधा आदि अधिकारों को समाहित किया ।

अधिनियम बनाने समय अकुशल मजदूरों को ध्यान में रखा गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि रोजगार शारीरिक श्रम (मजदूरी) पर आधारित हो, जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई हस्ताक्षेप न हो । मनरेगा अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है।

आर्थिक विकास–

आर्थिक वृद्धि दर में ब?त और स्टॉक मार्केट की आक्रामक च?ाई ने भारत को दुनिया की सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ला ख?ा किया है । भारत ने विदेशी निवेश के मामले में तो अमेरिका को भी विश्व के दूसरे स्थान से हटा दिया है । अब इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर चीन के बाद भारत की ही गिनती होती है । किंतु यह अप्रत्याशित प्रदर्शन भी भारत की उस दुखती रग को नहीं छुपा पाता कि आर्थिक उन्नति के लाभों को समान रूप से बाँटा नहीं गया और भारत के अधिकांश लोग आजादी के 60 सालों के बाद भी इनसे वंचित रह गए हैं देश के विकास मानचित्र पर आज भी देश का एक बहुत ब?ा भाग अदृश्य है । भारत के राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद के एक पथ–प्रदर्शक अध्ययन में पाया गया कि जो राज्य पहले से पिछ? थे, वे न केवल निम्न स्तर की आर्थिक वृद्धि में फँसे रहे अपितु उनकी वृद्धि दर में वर्ष 1990 के बाद लगातार गिरावट भी आई ।

"देश में बेरोजगारी की समस्या भी अत्यंत चिंताजनक है । राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की 55 वीं गणना यह दर्शाती है कि रोजगार सृजन की दर में भारी गिरावट आई है । वर्तमान दैनिक स्थिति के हिसाब से रोजगार की वृद्धि दर, जो वर्ष 1983–1994 की अवधि में 2.7 प्रतिशत थी, 1994–2000 में गिरकर 1.07 प्रतिशत हो गई । शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है । ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की दर वर्ष 1993–94 में 5.6 प्रतिशत थी, जो ब?कर 1992–2000 में 7.2 प्रतिशत हो गई । रोजगार के अवसर में कमी का मुख्य कारण यह रहा कि कृषि विकास के साथ–साथ रोजगार सृजन जिस गति से होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ । इसको यूँ समझा जा सकता है कि जहाँ 1983–94 के बीच कृषि उत्पादन में 1 इकाई वृद्धि से रोजगार के अवसरों में 0.7 इकाईयों का इजाफा होता था वहीं 1994–2000 के बीच केवल 0.01 रोजगार इकाइयाँ ही अर्जित हो पाई । अतः करो?ों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना ही सरकार की मुख्य प्राथमिकता बन गई और सरकार ने मनरेगा योजना ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने तथा ग्रामीण विकास को ब?ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया । केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम मनरेगा योजना 2 फरबरी, 2006 को देश के 200 जिलों में शुरू की गई । दुसरे चरण में 130 जिलों में एवं तीसरे चरण में 1 अप्रैल, 2008 को देश 265 जिलों में चलाया गया । जिससे ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिला तथा उनकी आर्थिक सुरक्षा में ब?ोत्तरी हुई ।"

न्यूनतम मजदूरी में ब?ोत्तरी

वर्ष 2007–8 के दौरान नरेगा के अंतर्गत जो 15,856.89 करो? रुपए कुल खर्च किए गए, उसमें से 10,738.47 करो? रुपए बतौर मजदूरी 3.3 करो? से ज्यादा परिवारों को प्रदान किए गए । वर्ष 2009–10 में मनरेगा बजट 39100 करो? रूपये तथा वर्ष 2010–11 हेतु मनरेगा बजट 40,100 करो? रूपये है ।

नरेगा शुरू होने के बाद से खेतिहर मजदूरों की राज्यों में न्यूनतम मजदूरी ब? गयी है । महाराष्ट्र में न्यूनतम मजदूरी 47 रूपए से ब?कर 72 रूपए, उत्तर प्रदेश में 58 रुपए से ब?कर 100 रुपए हो गई है । इसी तरह बिहार में 68 रुपए से ब?कर 81 रुपए, कर्नाटक में 62 रुपए से ब?कर 74 रुपए, पश्चिम बंगाल में 64 रुपए से ब?कर 70 रुपए, मध्य प्रदेश में 58 रुपए से ब?कर 85 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 65 रुपए से ब?कर 75 रुपए, नागालैंड में 66 रुपए से ब?कर 100 रुपए, जम्मू व कश्मीर में 45 रुपए से ब?कर 70 रुपए, और छत्तीसग? में 58 रुपये से ब?कर 72 रुपए हो गई है ।

"मनरेगा के तहत सभी राज्यों के लिए प्रति दिन के औसत न्यूनतम मजदूरी दर को 2009 में 89 रुपये से ब?ाकर 2010 में 100 रुपये 11.94 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2011 में ब?ाकर 112 रुपये 12.26 प्रतिशत की वृद्धि कर दिया गया । यद्यपि उसी अवधी '2010 एवं 2011' में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 9 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गयी ।" अतः उच्च मुद्रास्फीति ने मजदूरी दर में वृद्धि को एक हद तक निष्प्रभावी कर दिया तथा मनरेगा के तहत श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर ज्यादातर स्थिर ही बनी रही है ।

सीताम?ी (बिहार) में मनरेगा योजना–

"सीताम?ी में कुल 3 लाख 84 ह?ार 250 परिवार मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड हैं । सीताम?ी में मनरेगा के अंतर्गत कुल 3 लाख 84 हजार 250 जॉब कार्ड जारी किये जा चुके हैं । वर्ष 2010–11 में सीताम?ी के मनरेगा म?दूरों को औसतन 9 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया ।

वर्ष 2011–12 के दौरान सीतामढी के कुल 14 हजार 635 परिवारो के 16 हजार 104 व्यक्तिओं को मनरेगा योजना के अंतर्गत काम प्रदान करवाया गया । वर्ष 2011–12 के दौरान सीतामढी में कुल 4 लाख 83 हजार 668 श्रम दिवस उपलब्ध करवाया गया । वर्ष 2011–12 में कुल 105 परिवारों को निर्धारित 100 दिनों का रोजगार प्रदान करवाया गया । रजिस्टर्ड मजदूरों मे से कुल 3352 मजदूरों का व्यक्तिगत तथा 287 का संयुक्त बैंक एकाउंट खुलवाया गया है । वहीं 95 हजार 9 सौ 95 मजदूरों का एवं 6 हजार 6 सौ 31 मजदूरों का संयुक्त एकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाया गया । कुल मिलकर 3 लाख 84 हजार 250 रजिस्टर्ड परिवारों में से 1 लाख 62 हजार 65 परिवारों का खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में है ।"

साहित्य पुनरावलोकन

साहित्य पुनरावलोकन के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा निम्न पुस्तकों का अध्ययन किया गया है–

1. रोजगार गारंटी अधिनियम दृ निखिल डे , ज्यां द्रेज, रीतिका खेरा दृ नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया दृ इस पुस्तक में मनरेगा संबंधित सभी नियमों पर चर्चा की गई है । शोध कार्य हेतु इस पुस्तक से मनरेगा नियमावली की प्रमाणिक जानकारी ली गयी है ।

2.महात्मा गांधी नरेगा – महेश शर्मा– प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
इस पुस्तक में मनरेगा योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी है । शोध कार्य में इस पुस्तक से मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी ली गई है ।

3.पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावना– महिपाल दृ नेशनल बुक ट्रस्ट , इंडिया
इस पुस्तक से शोध कार्य हेतु उपयोगी पंचायती राज व्यवस्था के अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी ली गई है ।

शोध का उद्देश्य –

1.मीडिया मनरेगा कार्यक्रम को कवरेज देते समय मजदूरों के फिडबैक को प्रमुखता देती है या नहीं इसका पता लगाना ।

1.सर्वप्रथम मीडिया के माध्यम से सूचना मजदूरों तक पहुँचती है या सरकारी तंत्र के माध्यम से या ओपिनियन लीडर के माध्यम से इसका पता लगाना ।

उपकल्पना–

1 मजदूरों तक योजना की जानकारी मीडिया के माध्यम से नहीं बल्कि ओपिनियन लीडर के माध्यम से पहुँचती है ।

2. मनरेगा से जु?ाी हुई अधिकांश खबरें तभी सामने आती है जब इस कार्यक्रम के बारे में कोई अधिकारी या नेता कुछ बोलता है अर्थात मजदूरों से जु? हुए इस कार्यक्रम में मजदूरों के शब्दों को माडिया गंभीरता से नहीं लेती ।

शोध प्रविधियां

शोध के अंतर्गत सीताम?ी के दो प्रमुख अखबार का चयन अध्ययन के लिए किया गया है ।

चयनित अखबारों के लगातार 30 दिनों के अंतर्गत प्रकाशित खबरों का ही विश्लेषण किया गया है ।

सीताम?ी जिले के चार पंचायतों को निदर्शन प्रविधि से चुनकर प्रतिनिधि मानते हुए, इन्हीं पंचायतों का क्षेत्र अवलोकन किया गया है ।

चुने गये पंचायतों के सभी मनरेगा कर्मियों के बजाय कुछ मजदूरों को प्रतिनिधि मानते हुए उन्हीं से जानकारी ली गयी है ।

प्रस्तुत शोध आलेख में निम्न शोध विधियों को प्रयोग में लाया गया है –

1 अंतर्वस्तु विश्लेषण– इसके अंतर्गत समाचारपत्रों में मनरेगा के कवरेज का

परिमाणात्मक व गुणात्मक विश्लेषण किया गया है ।
2 अनुसूची प्रविधि– मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे मजदूरों से अनुसूची द्वारा जानकारी प्राप्त किया गया है ।
3 साक्षात्कार प्रविधि– मनरेगा कार्यक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों से साक्षात्कार कर उनका मनरेगा के प्रति नजरिया जानने की कोशिश की गयी है । संबंधित पंचायत के मुखिया से भी साक्षात्कार लेकर मनरेगा के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की गयी है ।
4 अवलोकन प्रविधि– मनरेगा कार्यस्थल पर जाकर इसका पता लगाया गया है की मजदूरों को सूचना किस माध्यम से प्राप्त होती है ।

मनरेगा संबंधित ?बरों का अंतर्वस्तु विश्लेषण(संख्यात्मक)

प्रस्तुत शोध कार्य में मनरेगा कार्यकम की मीडिया में स्थिति जानने के लिए शोध क्षेत्र के समाचारपत्रों में प्रकाशित मनरेगा संबंधित ?बरों का अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से परिमाणात्मक अध्ययन किया गया है । जो निम्न ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है –

प्रकाशित मनरेगा की खबरों का कॉलम के संख्या के आधार पर वर्गीकरण–

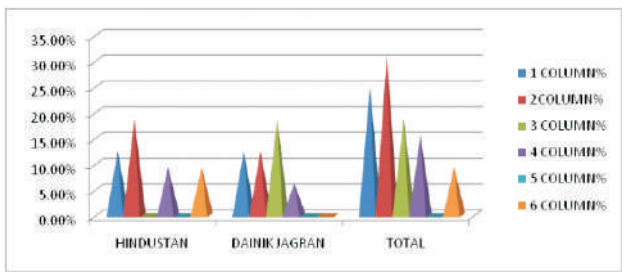

प्रकाशित मनरेगा की खबरों का पृष्ठवार वर्गीकरण

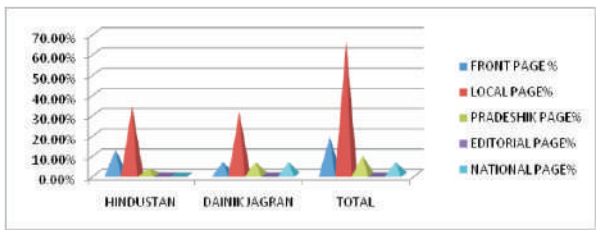

प्रकाशित मनरेगा की खबर के स्त्रोत का वर्गीकरण–

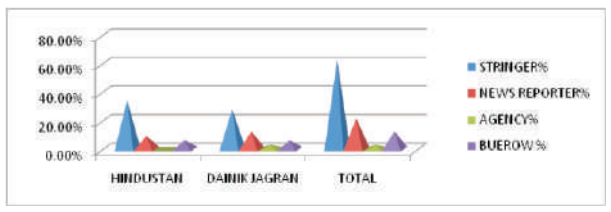

प्रकाशित मनरेगा की खबरों के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण–

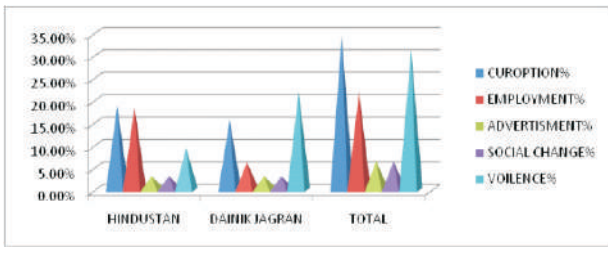

प्रस्तुत शोधकार्य में प्राथमिक आक?ों को प्राप्त करने हेतु अनुसूची शोध प्रविधि का इस्तेमाल किया गया है । अनुसूची से प्राप्त निम्न आक? 80 मनरेगा मजदूरों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है । मजदूरों द्वारा दी गयी जानकारी को निम्न चार्ट एवं ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

उत्तरदाताओं का वर्गीकरण–

क्र. सं.	पंचायत	महिला	%	पुरुष	%	योग	%
1	भंटाबारी	2	2.5%	18	22.5%	20	25%
2	हरिहरपुर	7	8.75%	13	16.25%	20	25%
3	कुरहर	2	2.5%	18	22.5%	20	25%
4	रायपुर	12	15%	8	10%	20	25%
कुल योग		23	28.75%	57	71.25%	80	25%

उत्तरदाताओं द्वारा दिये गए उत्तरों का वर्गीकरण–
आपको मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी किससे प्राप्त हुई?

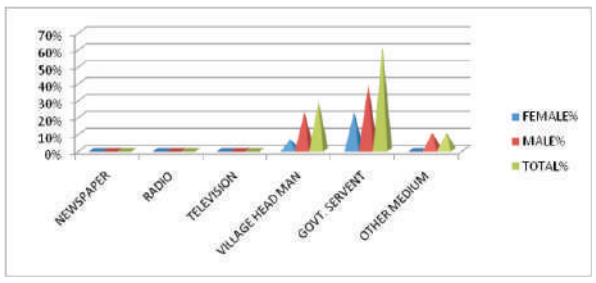

1अगर मनरेगा कार्यक्रम से जु?ी हुई आपकी कोई समस्या है तो आप इसे किस माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं?

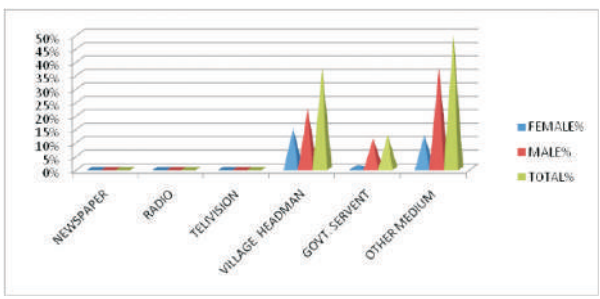

परिणाम

मनरेगा संबंधित ?बरों का अंतर्वस्तु विश्लेषण से प्राप्त परिणाम

उपर्युक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकाशित मनरेगा की ?बरों में से एक कॉलम की 25: , दो कॉलम की 31.25: , तीन कॉलम की 18.75: , चार कॉलम की 15.63: , तथा छह कॉलम की कुल 9.38: खबरें हैं । मनरेगा की कुल प्रकाशित ?बरों मे से 18.75: को मुख्य पृष्ठ पर, 65.63: को स्थानीय पृष्ठ पर , 9.37: को प्रादेशिक पृष्ठ पर , 0: को संपादकीय पृष्ठ पर तथा 6.25: को राष्ट्रीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया । मनरेगा की कुल प्रकाशित ?बरों मे से 62.5: स्ट्रिंगर द्वारा , 21.88: खबरें पत्र संवाददाता द्वारा, 3.12: खबरें एजेंसी द्वारा तथा 12.5: खबरें पत्र ब्यूरो द्वारा दी गयी है । मनरेगा की कुल प्रकाशित ?बरों मे से 34.37: खबरें भ्रष्टाचार से संबंधित , 21.88: खबरें रोजगार से संबंधित , 6.5: खबरें प्रचार से संबंधित , 6.5: खबरें सामाजिक बदलाव से संबंधित तथा 31.25: खबरें हिंसा से संबंधित है ।

अनुसूची से प्राप्त निम्न आकडों का परिणाम–

उपर्युक्त चार्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शोध में शामिल कुल 80 मनरेगा मजदूरों में 28.75: महिला मनरेगा मजदूर है तथा 71.25: पुरुष मनरेगा मजदूर है । उपर्युक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शोध में शामिल 0:

मनरेगा मजदूरों ने माना की उन्हे मनरेगा योजना की जानकारी अखबार, रेडियो, टेलीविजन माध्यमों से प्राप्त हुई, कुल 28.75ः मनरेगा मजदूरों को मनरेगा योजना की जानकारी मुखिया के माध्यम से प्राप्त हुई, कुल 61.25ः मनरेगा मजदूरों को मनरेगा योजना की जानकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त हुई तथा 10ः मनरेगा मजदूरों अन्य माध्यम से मनरेगा योजना की जानकारी प्राप्त हुई । अन्य माध्यम में वार्ड सदस्य व ग्रामीण राजनीति से जु? लोग सम्मिलित हैं । शोध में शामिल 0ः मनरेगा मजदूरों ने माना की वो अपनी समस्या सरकार तक पहुचाने के लिए अखबार, रेडियो, टेलीविजन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, कुल 37.5ः मनरेगा मजदूर अपनी समस्या सरकार तक पहुँचाने में मुखिया को माध्यम के रूप में चुना, कुल12. 5ः मनरेगा मजदूर सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी समस्या सरकार तक पहुँचाते हैं तथा 50ः लोग अन्य माध्यम से सरकार तक अपनी समस्या पहुँचाते हैं । अन्य माध्यम में वो अपनी जान–पहचान वाले ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो ग्रामीण स्तर पर प्रभावी होते हैं ।

निष्कर्ष

मीडिया की मनरेगा संबंधित सारी चर्चाओं में ज्यादातर योजना में हो रहे भ्रष्टाचार की ही बात होती है । मीडिया के आधुनिक जनमाध्यम मनरेगा सूचना को मजदूरों तक पहुँचाने में गंभीर नहीं है। समाचारपत्रों के अंतर्वस्तु विश्लेशण से यह तथ्य निकलकर सामने आया की मीडिया मजदूरों को निर्धारित दिनों से कम का रोजगार दिये जाने से संबंधित न्यूज को प्रकाशित करने से परहेज करती है । मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलने की समस्या को दूर करने हेतु मीडिया ने कोई गंभीर कटिबद्ध प्रयास नहीं किया । अंतर्वस्तु विश्लेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया की मीडिया अपनी रिपोर्टिंग में मजदूरों की बाईट को स्थान नहीं देता ।जब कोई अधिकारी या नेता मनरेगा के बारे में बोलता है तो उसे मीडिया स्थान देती है। मजदूर मीडिया के बजाय दूसरे माध्यम से मनरेगा की सूचना प्राप्त करते हैं। मजदूर अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए मीडिया को अपना माध्यम नहीं बनाते हैं।

सुझाव

1. मीडिया मनरेगा की ?बरों में मजदूरों की बाईट को स्थान दे, इससे मीडिया के प्रति मजदूरों में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा ।
2.मनरेगा के अंतर्गत दी गई परिवार की परिभाषा मे संशोधन कर प्रति व्यक्ति के हिसाब से रोजगार को उपलब्ध करवाना चाहिए ।
3.मीडिया समयदृसमय पर मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का सर्वे अपने स्तर से करती रहे जिससे सच्चाई सामने आ सके ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1.चौधरी , कुमार प्रसन्न ध्श्रीकांत दृ बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, वाणी प्रकाशन, 2010
2.महीपाल , पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट , इंडिया , 2011
3. शर्मा , महेश , मनरेगा दृ प्रभात प्रकाशन , दिल्ली , 2010
4.कुमार, केवल जे , मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, जायको प्रकाशन, मुंबई, 2011
5.जोशी , डॉ. आर .पी . , भारत में स्थानीय प्रशासन , शील सन्स, जयपुर , 2004
6.धींगरा , ईश्वर , भारत का आर्थिक विकास– सुल्तान चंद एंड सन्स , नई दिल्ली, 2009
7.प्रसाद , डॉ. गोपाल कृष्ण , भारतीय सामाजिक संस्थाएं – भारती भवन, पटना, 2000
8.भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास , एन सी ई आर टी , 2007
9.महीपाल , पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट , इंडिया , 2011
10.मैथ्यू , जार्ज , भारत में पंचायती राज व्यवस्था दृ वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , 2003
11. व्यैकल्पिक आर्थिक वार्षिकी –3– युवा संवाद प्रकाशन , नई दिल्ली, 2011
12 मीडिया और समाज– चोपड़ा, ल[मेन्द्र–आधार प्रका"ान प्रा– लि– पंचकूला,हरिया.ाा, 2006

वेबसाईट सूची

1.www-hindi-indiawaterportal-org
2.www-the-hindu-com
3.www-blogs-thehindu-com-delhi
4.www-nrega-nic-in
5.www-rural-nic-in

समाचारपत्र सूची

1.दैनिक जागरण
2.द हिंदु
3.हिन्दुस्तान
4.प्रभात खबर

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net